मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/I/858948/2026**(990550)** भोपाल, दिनांक **05-03-2026**

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्य प्रदेश।

विषय:- रबी 2025-26 हेतु भावांतर योजना-सरसों (प्राइस डिफिसिट पेमेंट स्कीम) के मार्गदर्शी निर्देश।

प्रदेश में रबी 2025-26 में सरसों उत्पादक कृषकों को भारत सरकार की प्राइस डिफिसिट पेमेंट स्कीम (प्रदेश में इसे भावांतर योजना कहा जायेगा) के मापदण्डों के अनुसार फेयर एवरेज क्वालिटी (FAQ) उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराये जाने हेतु राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार सरसों हेतु भावांतर योजना प्रारंभ की गई है :-

1. प्रदेश में योजना का लाभ कृषको प्रदाय किये जाने हेतु दिनांक **26.02.2026** से **20.03.2026** तक ई-उपार्जन पोर्टल www.mpeuparjan.nic.in पर कृषकों द्वारा पंजीयन समस्त जिला कलेक्टर को दिनांक **24.02.2026** के द्वारा जारी विस्तृत निर्देश के अनुसार किया जायेगा।
2. भावांतर योजना अन्तर्गत किसानों के सरसों के पंजीकृत रकबे एवं औसत उत्पादकता के मान से पंजीकृत किसान को उसकी पात्रता अनुसार लाभ प्राप्त होगा।
3. भावांतर योजना अंतर्गत रबी वर्ष **2025-26** में राज्य की सरसों फसल हेतु राज्य स्तरीय औसत उत्पाकदता को प्रदेश के समस्त जिलों की उत्पादकता के रूप में मान्य किया जायेगा।
4. भावांतर योजनांतर्गत सरसों हेतु विक्रय अवधि **23** मार्च **2026** से **30** मई **2026** नियत की गई है। योजना सिर्फ राज्य की अधिसूचित मण्डियों में ही मान्य है। भावांतर योजना के क्रियान्वयन के लिये कृषि उपज मंडियों में व्यवस्थाओं तथा

भावांतर अंतर्गत पोर्टल के प्रबंधन एवं देय राशि की गणना आदि के लिये पृथक से आदेश किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे।

5. भारत सरकार की भावांतर योजना (PDPS) की गाईड लाईन अनुसार भारत सरकार द्वारा राज्य के **40** प्रतिशत उत्पादन तक तथा **15** प्रतिशत न्यूनतम समर्थन मूल्य की कमी तक प्रदान की जाने वाली राशि प्रदाय की जायेगी। भारत सरकार द्वारा उक्तानुसार राशि प्रदान की जायेगी तथा शेष राशि (यदि कोई) राज्य के कोष से व्यय की जायेगी।
6. भावांतर योजना का क्रियान्वयन राज्य की समस्त एपीएमसी /मंडियों में किया जायेगा। योजना दिनांक **23** मार्च **2026** से **30** मई **2026** तक प्रभावशील रहेगी। योजनांतर्गत प्रथम दो सप्ताह में किये गये विक्रय के लिए मॉडल रेट का निर्धारण, सीजन के प्रथम **14** दिवस की अवधि में प्रदेश की समस्त मण्डियों में सरसों के विक्रय मूल्य का Weighted Average मानकर निर्धारित किया जायेगा। दिनांक **23** मार्च **2026** से **14** दिवस तक यह मॉडल रेट समस्त प्रदेश में प्रभावशील होगा। उसके उपरांत सरसों विक्रय की दिनांक से पहले **14** दिनों की अवधि में, प्रदेश की समस्त मण्डियों में सरसों के विक्रय मूल्य का Weighted Average मानकर प्रतिदिन मॉडल रेट का निर्धारण किया जायेगा। प्रतिदिन का मॉडल रेट, मध्यरात्रि **12.00** बजे से E-Mandi Portal पर प्रदर्शित किया जायेगा।
7. दिनांक **01** मार्च **2026** से **22** मार्च **2026** के मध्य कृषक द्वारा , मण्डी में सरसों का विक्रय किया गया है तो भावांतर भुगतान हेतु उस कृषक की कुल पात्रता सीमा में से विक्रय की गई मात्रा घटाकर शेष मात्रा ही भावान्तर भुगतान हेतु पात्र होगी।
8. दैनिक आवक और मूल्य (Price) से संबंधित जानकारी भारत सरकार के वेब पोर्टल पर उपलब्ध होगी (http://agmarknet.gov.in)। यह जानकारी समस्त एपीएमसी/ मंडियों में सहज दृष्टव्य स्थान पर प्रचारित की जायेगी।
9. यदि अधिसूचित मंडी में सरसों की उपज (FAQ मानक के अनुरूप) का बिक्री मूल्य MSP के बराबर अथवा उससे अधिक है, तो किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी।
10. यदि अधिसूचित मंडी में सरसों (FAQ मानक के अनुरूप) का बिक्री मूल्य MSP से कम हो, परंतु प्रदेश सरकार द्वारा घोषित औसत थोक मूल्य (Modal Price) से अधिक हो, तो किसान को केवल MSP और वास्तविक बिक्री मूल्य के अंतर

की राशि प्रदाय की जाएगी।

11. यदि अधिसूचित मंडी में सरसों (FAQ मानक के अनुरूप) का बिक्री मूल्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित औसत थोक मूल्य (Modal Price) से कम हो, तो भी किसान को MSP और घोषित औसत थोक मूल्य के अंतर की राशि ही प्रदाय की जाएगी।
12. योजना अंतर्गत ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत किसान द्वारा अधिसूचित मंडी में बोनी के सत्यापित क्षेत्रफल तथा उत्पादकता के मान से उत्पादन की मान्य सीमा तक नियत विक्रय अवधि में विक्रय करने पर भारत सरकार द्वारा भावांतर योजना में नियत प्रावधान अनुसार, पात्रता के अनुसार भावान्तर की राशि लाभांवित किसानों को प्रदाय की जावेगी तथा शेष राशि (15% MSP की सीमा से अधिक) राज्य सरकार द्वारा टॉप-अप कर प्रदान की जावेगी। कृषक को उसकी उपज की मंडी में खुली नीलामी में प्राप्त राशि संबंधित व्यापारी द्वारा **01** दिवस तथा भावांतर की राशि (यदि कोई) राज्य शासन द्वारा **15** दिवस में किसान द्वारा इन्द्राज बैंक खाते में सीधे स्थानांतरित की जायेगी।
13. किसानों के बैंक खाते में DBT के माध्यम से मंडी बोर्ड द्वारा भुगतान किया जायेगा, जिसकी प्रतिपूर्ति राज्य मूल्य स्थिरीकरण कोष से की जायेगी।
14. योजनातंर्गत पंजीयन कर्ता के मानदेय, पंजीयन व्यय, RTGS/NEFT पर व्यय, किसानों को SMS पर व्यय, योजना के प्रचार-प्रसार पर व्यय, मंडियों में पंजीकृत आवक की व्यवस्था पर व्यय, योजना के हितग्राहियों के किसान सम्मेलनों के आयोजनों पर व्यय के लिए भारत सरकार द्वारा देय सरसों की भावांतर राशि की 2 % राशि का प्रशासकीय व्यय में उपयोग कृषि विभाग द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त कर किया जायेगा। इससे अधिक प्रशासकीय व्यय वित्त विभाग से सहमति प्राप्त कर व्यय किया जावे। भावांतर राशि **15** प्रतिशत न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक होने की स्थिति में 2% प्रशासकीय व्यय राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा।
15. योजना क्रियान्वयन की समीक्षा मंत्री परिषद द्वारा की जायेगी।
16. योजना क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय एवं मण्डी समिति स्तरीय क्रियान्वयन समिति निम्नानुसार गठित की जाएगी ।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में "राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति" निम्नानुसार है:-

1.	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2.	कृषि उत्पादन आयुक्त	सदस्य
3.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
4.	अपर मुख्य सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग	सदस्य
5.	अपर मुख्य सचिव, खाद्य, उपभोक्ता सरक्षण एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग	सदस्य
8.	सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग	सदस्य
9.	आयुक्त, खाद्य, उपभोक्ता सरक्षण एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	सदस्य
10.	संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल	सदस्य
11.	संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग	सदस्य
12.	राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) म.प्र.	सदस्य
13.	प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड	सदस्य सचिव

योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति गठित की जायेगी। जिले में योजना का सुचारु संचालन, योजना संबंधित विवाद का निराकरण एवं योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यकता अनुसार अनुशंसाएं भेजने की कार्यवाही समिति द्वारा की जायेगी।

जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति निम्नानुसार होगी :-

1.	जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य
3.	उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास	सदस्य
4.	उपायुक्त, सहकारिता	सदस्य
5.	जिला खाद्य अधिकारी	सदस्य
6.	उप/सहायक संचालक, उद्यानिकी	सदस्य
7.	लीड बैंक अधिकारी	सदस्य

8.	जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC)	सदस्य
9.	प्रभारी वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केन्द्र	सदस्य
10.	जिला मुख्यालय पर स्थित कृषि उपज मंडी समिति का सचिव	सदस्य सचिव

जिला कलेक्टर के द्वारा जिले के समस्त माननीय सांसद/विधायक जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक में विशेष आमंत्रित होंगे। जिले के माननीय प्रभारी मंत्रीजी द्वारा अनुमोदित चार किसान भी इस समिति की बैठकों में विशेष आमंत्रित होंगे।

मंडी समिति स्तरीय क्रियान्वयन समिति निम्नानुसार होगी :-

1.	भारसाधक अधिकारी, मंडी समिति	अध्यक्ष
2.	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	सदस्य
3.	सहकारिता विस्तार अधिकारी	सदस्य
4.	सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी	सदस्य
5.	सचिव, मंडी समिति	सदस्य सचिव

मंडी समिति स्तरीय क्रियान्वयन समिति मंडीवार खरीदी, भुगतान एवं अन्य समस्त कार्यों हेतु उत्तरदायी होगी तथा उस मंडी के लिए जिले से नियुक्त किये गए नोडल अधिकारी से समन्वय कर कार्य करेगी। यह समिति जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के सीधे नियंत्रण में कार्य करेगी।

अतः तदानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

Digitally signed by Nishant Warwade
Date: 05-03-2026 14:40:52

(निशांत वरवड़े)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

पृ. क्रमांक/ I/858948/2026**(990550)** भोपाल, दिनांक **05-03-2026**

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन नई दिल्ली।
2. विशेष सहायक मान. मंत्री, म0प्र0शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय,भोपाल।
4. अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त, मंत्रालय, भोपाल।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण/सहकारिता/वित्त/राजस्व/ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/उदयानिकी एवं खादय प्रसंस्करण/जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
6. उप सचिव, म.प्र. शासन, समन्वय, मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल।
7. निज सहायक, सचिव, म0प्र0शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
8. आयुक्त सह पंजीयक, म.प्र. भोपाल।
9. आयुक्त, भू-अभिलेख, ग्वालियर, म.प्र.।
10. आयुक्त, संस्थागत वित्त, म.प्र. भोपाल।
11. आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, भोपाल उपरोक्त् अनुक्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. आयुक्त, जनसम्पर्क संचलानलय, भोपाल।
13. समस्त संभागायुक्त, म.प्र. को आवश्यक व्यवस्थायें हेतु अंकित ।
14. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, संचालनालय, भोपाल को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता पर किये जाने हेतु प्रेषित।
15. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल, को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता पर किये जाने हेतु प्रेषित।
16. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ, भोपाल।
17. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल।
18. एस.आई.ओ (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र-NIC) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
19. समस्त संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास संभाग कार्यालय।
20. समस्त उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला कार्यालय।

21. समस्त परियोजना, संचालक, आत्मा, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला कार्यालय।

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग